राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर – 17
पंचकूला, हरियाणा – 134109

Website:www.secharyana.gov.in
Email id:sec@hry.nic.in

Phone: +91172 2584810
Fax : +91 172 258 5904

क्रमांकः एस.ई.सी./2एम.ई/2025/1868-1876 दिनांक : 14.02.2025

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त,
(चरखी दादरी, पंचकूला, रेवाडी तथा
पनीपत)

विषयः– नगरनिगमों/नगरपरिषद्/नगरपालिकाओं की मतदाता सूची तैयार करने बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 10 नगरनिगमों, 05 नगरपरिषदो तथा 26 नगरपालिकाओं की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन क्रमशः दिनांक 06.01.2025, 15.01.2025 तथा दिनांक 28.01.2025 को किया जा चुका है। नगरनिगम, पानीपत की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.02.2025 को किया जाना है।

2. यहां पर आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नगरनिकाय की मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के उपरान्त मतदाता सूचियों में नाम शामिल करने/नाम हटाने और सुधार का सम्बन्ध है, के बारे में हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 तथा नगरपालिका निवार्चचन नियम, 1978 के नियम–14 व 14ए में वर्णित निम्नलिखित प्रावधान हैः–

> **"14. Inclusion, deletion and correction of names in the ward-wise electoral roll finally published**:- Any person whose name existed in the relevant part of the electoral roll of the Legislative Assembly Constituency and could not be included in the wardwise electoral roll of Municipal Corporation/ municipality finally published, may apply to the Deputy Commissioner for inclusion of name, correction of any entry or transposing of name in another ward in Form "A" and for objecting inclusion or seeking deletion of name shall be made in Form "B".

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर - 17
पंचकूला, हरियाणा - 134109

Website:www.secharyana.gov.in
Email id:sec@hry.nic.in

Phone: +91172 2584810
Fax : +91 172 258 5904

14A. Inclusion of names in the electoral roll finally published during election period:- Any person whose name existed in the relevant part of the electoral roll of the Legislative Assembly Constituency and could not get his name included in the electoral roll of the Municipal Corporation/Municipalities under rule 4 and 14 and election programme has been issued by the State Election Commission, application only for the inclusion of name in the electoral roll shall be made to Returning Officer, till the last date of making nomination. Returning Officer shall be the competent authority for inclusion of name in the electoral roll from the issuance of election programme till the last date of making nomination. The decision taken by the Returning Officer of such applications shall be final.

Provided that if the name of any applicant has been included in the electoral roll of any ward of the concerned Municipal Corporation/Municipalities under this rule and intends to contest the election, shall be allowed to file his nomination.

Provided further that no amendment, transposition or deletion of any entry in the electoral roll shall be made and no direction for the inclusion of name in the electoral roll of any ward shall be give under this rule, after the last date for making nominations for an election in that Municipal Corporation/Municipalities.

3. हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 तथा नगरपालिका निवार्चचन नियम, 1978 के नियम-14 व 14ए के प्रावधान के दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित नगरनिगम, नगरपरिषद् तथा नगरपालिका की मतदाता सूची के अतिम प्रकाशन क्रमशः दिनांक 06.01.2025, 15.01.2025 तथा 28.01.2025 के उपरान्त सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा सम्बन्धित नगरनिगम, नगरपरिषद् तथा नगरपालिका की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरान्त शामिल किये गये नाम, काटे गये नाम तथा एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफट किये गये नामों की सप्लीमैंटरी सूची को तैयार किया जाये, ताकि सप्लीमैंटरी सूची मतदान के समय सम्बन्धित रिटर्निग अधिकारी को उपलब्ध करवाई जा सके।

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं० 2 सैक्टर – 17
पंचकूला, हरियाणा – 134109

Website:www.secharyana.gov.in
Email id:sec@hry.nic.in

Phone: +91172 2584810
Fax : +91 172 258 5904

4. जहां तक नगरनिगम, पानीपत का सम्बन्ध है, की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.02.2025 को किया जाना है, के बारे में लिखा जाता है कि नगरनिगम, पानीपत की मतदाता सूची के उपरान्त सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा सम्बन्धित नगरनिगम की मतदाता सूची में शामिल किये जाने वाले नाम, काटे जाने वाले नाम तथा एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफट किये जाने वाले नामों की सप्लीमैंटरी सूची को तैयार किया जाये ताकि सप्लीमैंटरी सूची मतदान के समय सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी, नगरनिगम, पानीपत को उपलब्ध करवाई जा सके।

Note:- सप्लीमैंटरी सूची तैयार करते समय मूल सूची में निर्धारित स्थान पर deleted, transposed आदि का वर्णन करवाना भी सुनिश्चित करें, ताकि दोहरे मतदान को रोका जा सके।

भवदीया,

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृते: राज्य निर्वाचन आयुक्त हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांकः एस.ई.सी./2एम.ई./2025/1877 दिनांकः– 14.02.2025

उपरोक्त की प्रति चित्रा सरवारा तथा अन्य को उनके प्रतिवेदन दिनांक 14.01.2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृते: राज्य निर्वाचन आयुक्त हरियाणा,
पंचकूला।